

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 580]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2020 — कार्तिक 20, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-33/2018/सात-4.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात :-

अनुसूची

स.क.	जिला	वर्तमान तहसील	सृजित नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नई तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	धमतरी	कुरुद एवं धमतरी	भखारा	तहसील कुरुद — राजस्व निरीक्षक मण्डल भखारा के पटवारी हल्का नं. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 17, 18, 19 एवं 20 के कुल 27 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मण्डल भठेली के पटवारी हल्का नं. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 के कुल 24 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मण्डल भाठागांव के पटवारी हल्का नं. 23 के कुल 03 ग्राम, तहसील धमतरी — राजस्व निरीक्षक मण्डल आमदी के पटवारी हल्का नं. 01 एवं 02 के कुल 06 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मण्डल भोथली के पटवारी	उत्तर : तहसील अभनपुर दक्षिण : तहसील धमतरी पूर्व : तहसील कुरुद पश्चिम : तहसील गुरुर एवं पाटन

				हल्का नं. 03 एवं 04 के कुल 06 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मण्डल छाती के पटवारी हल्का नं. 05, 06 एवं 07 के कुल 07 ग्राम, अतः तहसील कुरुद के 21 पटवारी हल्के के कुल 54 ग्राम, 02 राजस्व निरीक्षक मण्डल एवं 01 आंशिक राजस्व निरीक्षक मण्डल (भाठागांव) तथा तहसील धमतरी के 07 पटवारी हल्के के कुल 19 ग्राम। इस प्रकार तहसील कुरुद एवं धमतरी के कुल 28 पटवारी हल्के के कुल 73 ग्राम नवीन तहसील "भखारा" में शामिल होंगे।	
--	--	--	--	---	--

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.डी.दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 11th November 2020

NOTIFICATION

No. F11-33/2018/Seven-4 :- In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), Notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the said Code, the State Government alters the limits of Tehsil specified in column (3), creates a new Tehsil specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in Schedule below, the same having been previously published as required by Section 13 of the said Code, namely :-

SCHEDULE

S.No	District	Present Tahsil	Create New Tahsil	Nature of Change	Boundaries of new Tahsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dhamtari	Kurud and Dhamtari	Bhakhara	Tehsil Kurud - Total 27 villages of Patwaari Halka No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 17, 18, 19 and 20 of Revenue Inspector Mandal Bhakhara. Total 24 villages of Patwari Halka No. 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 of Revenue Inspector Mandal Bhatheli. Total 03 villages of Patwari Halka No. 23 of Revenue Inspector Mandal Bhatagaon. Tehsil Dhamatari - Total 06 villages of Patwari Halka No. 01 and 02 of Revenue Inspector Mandal Aamdi. Total 06 villages of Patwari Halka No. 03 and 04 of Revenue Inspector Mandal Bhothli. Total 07 villages of Patwari Halka No. 05, 06 and 07 of Revenue Inspector Mandal Chhati. Hence, total 54 villages of 21 Patwari Halkas, 02 Revenue Inspector Mandal and 01 Initial Revenue Inspector	North -Tahsil Abhanpur. South -Tahsil Dhamtari. East -Tahsil Kurud. West -Tahsil Gurur and Patan.

				Mandal (Bhatagoan) of Tehsil Kurad and 19 villages of 07 Patwari Halka of Tehsil Dhamtari. Similarly, Total 73 villages of 28 patwari Halkas of Tehsil Kurud and Dhamtari shall be included in new Tehsil "Bhakhara".	
--	--	--	--	---	--

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.D.DIWAN, Joint Secretary.